विजयपुर गैस एजेंसी की लापरवाही चरम पर

लंबी लाइनें, घंटों इंतज़ार फिर भी खाली हाथ लौट रहे उपभोक्ता

नवभारत न्यूज
विजयपुर,28मार्च। क्षेत्र में गैस आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। विजयपुर गैस एजेंसी पर पिछले कई दिनों से भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन अव्यवस्था इस कदर हावी है कि सुबह से लाइन में खड़े उपभोक्ता शाम तक भी सिलेंडर नहीं पा रहे। सबसे गंभीर बात यह है कि ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को भी समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही, जिससे उपभोक्ताओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। एजेंसी के बाहर रोजाना लंबी कतारें लग रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग तेज धूप में घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि पूरा दिन लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिलता, और वे निराश होकर खाली हाथ घर लौट जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी की लापरवाही के कारण 3 किलोमीटर दूर स्थित गोदाम पर जाना पड़ रहा है, लेकिन वहां भी घंटों लाइन में लगने के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं दिया जा रहा। गृहिणियों का कहना है कि लगातार देरी से रसोई का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और कई परिवारों को मजबूरन लकड़ी या अन्य विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का सवाल है कि जब बुकिंग डिजिटल हो चुकी है, तो डिलीवरी व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है? एजेंसी द्वारा निर्धारित समय का पालन नहीं करने से रोजाना उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल इस स्थिति का संज्ञान ले और गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली की जांच कर उपभोक्ताओं को राहत दिलाई जाए।

इनका कहना है...
'मैंने 8 दिन पहले नंबर लगा दिया था। मेरे पास डीएससी नंबर भी आ गया था। बाद में एजेंसी ने फोन करके दोबारा डीएससी नंबर ले लिया, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। उल्टा मेरे मोबाइल पर डिलीवरी सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, जबकि मुझे सिलेंडर मिला ही नहीं।
वरुण शर्मा ,उपभोक्ता

मैं 15 दिन से नंबर लगाकर इंतजार कर रहा हूं। डीएससी नंबर भी आ चुका है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। पिछले चार दिनों से रोज एजेंसी जा रहा हूं पर कोई सुनवाई नहीं है। एजेंसी वाले कहते हैं कि टोकन वालों को पहले मिलेगा3 तो फिर हमारी बुकिंग का क्या मतलब
एडवोकेट रामानंद पाराशर
उपभोक्ता

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 12 योजनाएं

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 28 मार्च। सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा 12 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट वर्मा ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले पात्र हितग्राहियों से उक्त योजनाओं में लाभ लेने की अपील की है कि पात्र हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती शशिकिरण इक्का ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक है, इसके लिए बीपीएल सूची में जिनका नाम है, वे आवेदन कर सकते है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बीपीएल सूची में शामिल विधवा महिलाएं पात्रता रखती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना में 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बीपीएल दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 80 प्रतिशत या अधिक है, वे आवेदन कर सकते है। कन्या अभिभावक पेंशन योजना में केवल पुत्री संतान होने वाले दंपत्ति पात्र है, जिनमें से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुदिव्यांग अथवा मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग पात्र है, इस योजना में आवेदन कर सकते है। 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्धजन में लाभ प्राप्त कर सकते है। इसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्धजन जो वृद्धाश्रम में निवासरत है, वे भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हकदार है। परित्यात्का महिलाओं के लिए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन अतंर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यात्का बीपीएल सूची में शामिल महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांगजन जिनकी निशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक है, लाभ प्राप्त कर सकते है।

वीरपुर में किसानों से धोखाधड़ी का मामला उजागर

शिकायत के बाद व्यापारी तोल कांटे का रिमोट लेकर भागे

नवभारत न्यूज
विजयपुर,28मार्च। बीरपुर क्षेत्र में किसानों के साथ बड़े स्तर पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाहर से आए कुछ व्यापारी सरसों की खरीद के दौरान किसानों को ठग रहे हैं। बताया जा रहा है कि 50 किलो की बोरी पर करीब 6 से 7 किलो अतिरिक्त सरसों तौल कर ली जा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों के अनुसार, व्यापारी तौल में गड़बड़ी कर जानबूझकर अधिक माल ले रहे हैं। किसानों ने जब इस बात का विरोध किया, तो मामला बढ़ गया और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बीरपुर तहसीलदार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मौके पर तौल मशीनों की जांच की जा रही है और संबंधित व्यापारियों से पूछताछ की जा रही है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसानों के साथ न्याय किया जाएगा। इस घटना के बाद क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है और वे पारदर्शी खरीद प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं।

अजय बाथम बने राज्य कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष

शिवपुरी। राज्य कर्मचारी संघ में संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुढ़ेरी के खेल शिक्षक अजय बाथम को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

नियुक्ति के बाद अजय बाथम ने फतेह सिंह एवं जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए वे सदैव संघर्षरत रहेंगे। अजय बाथम की नियुक्ति से शिक्षकों एवं कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उनके ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर अनेक साथियों एवं समाजजनों ने शुभकामनाएं प्रेषित कर उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से राजू बाथम, भागीरथ बाथम, चंद्रशेखर बेमटे (जिला क्रीड़ा अधिकारी), राघवेंद्र प्रताप रघुवंशी सहित कई कर्मचारी एवं शिक्षक शामिल रहे।

गाय पर कुल्हाड़ी से वार

श्योपुर, 28 मार्च। थाना देहात गाय के पैर में कुल्हाड़ी मारी फरि. रामभरत पुत्र मांगीलाल मीणा उम्र 38 साल नि. बगबाड़ा थाना देहात ने रिपोर्ट की कि दि. 26.03.26 के 08.00 बजे स्थान फरि के बाड़े के पास खेत ग्राम बगवाड़ा पर आरोपी मांगीलाल बैरवा नि. बगवाड़ा ने फरि. की गाय में आगे से कुल्हाड़ी मार दी जिससे गाय के दाहिने पैर में चोट लगी और खून निकल आया। धारा 325 बीएनएस 4/9म.प्र. गौ वंश प्रतिषेद अधिनियम 2004 कायम कर लिया है।

पंडित उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिवस पर विचारधारा पर मंथन

नवभारत न्यूज
विजयपुर,28मार्च। आज भारतीय जनता पार्टी विजयपुर मंडल द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर' का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अनूप भदौरिया द्वारा दीप प्रज्ज्वलन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया।

प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिन कुल चार महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए, **प्रथम सत्र:** पहले सत्र में मुख्य वक्ता नेअनूप भदौरिया ने भाजपा के इतिहास एवं विकास पर प्रकाश डाला एवं अध्यक्षता कैलाश सिरोठिया जी ने क़ी। **द्वितीय सत्र:** के मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने प्रदेश सरकार क़ी योजना पर प्रकाश डाला !एवं अध्यक्षश्ता अशोक गुप्ता जी ने क़ी। **तृतीय सत्र:** के मुख्य वक्ता पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा ने कार्य पद्धति पर प्रकाश डाला। एवं अध्यक्षता श्री केदार श्रीवास जी ने क़ी। **चतुर्थ सत्र:** के मुख्य वक्ता जिला महामंत्री अरविन्द सिंह जादौन बूथ प्रबंधक और् मन क़ी बात पर प्रकाश डाला। एवं अध्यक्षश्ता प्रेम बाबू शाक्य ने क़ी इस अवसर पर विजयपुर मंडल के अध्यक्ष शुभम मुदगल, मंडल महामंत्री हाकिम कुशवाह, मुकेश जाटव जी एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष विश्राम कुशवाह, उदय कुशवाह जी एवं जिलासहकोषद्यश अखिलेश शर्मा जी एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विधि महाविद्यालय में वृहद विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 28 मार्च। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल मेहता की उपस्थिति व अध्यक्षता में शासकीय विधि महाविद्यालय श्योपुर में विभिन्न विभागों के समन्वय से वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उपरोक्त शिविर का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन कर किया गया।

कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मेहता द्वारा अपने संबोधन में उपस्थित विधि विद्यार्थीगण एवं विभिन्न विभागों की ओर से उपस्थित अधिकारीगण व कर्मचारीगण को वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक समझाते हुये इसके माध्यम से प्रकरणों के निराकृत होने पर पक्षकारों को होने वाले लाभों से अवगत कराया और बताया कि वैकल्पिक विवाद समाधान, प्रकरणों को निराकृत किये जाने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकिया है। साथ ही माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से लेकर तहसील विधिक सेवा समितियों की नि:शुल्क विधिक सहायता संबंधी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्रदाय की। कार्यक्रम के दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा उक्त वृहद विधिक साक्षरता शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से उपस्थितजन को जागरूक किये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, जिला चिकित्सालय विभाग, जनसाहस, ग्रामीण स्वालंबन सेवा संस्था एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित किये गये स्टॉल का भी निरीक्षण किया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 (ए) के प्रावधानों से अवगत कराते हुये नि:शुल्क विधिक सहायता व सलाह योजना तथा माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई ।कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय की ओर से उपस्थित चिकित्सकगण द्वारा उपस्थितजन व छात्र-छात्राओं का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं व बच्चों को दिये जाने वाले पोष्टिक आहार को भी प्रर्दशनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसी अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर, सामाजिक न्याय विभाग, जनसाहसध्ग्रामीण स्वालंबन सेवा संस्था द्वारा पैम्पलेॅट्स, बुसर्स इत्यादि के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित आमजन व छात्र-छात्राओं को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम का संचालन मनू प्रताप सिंह भदौरिया द्वारा किया जाकर आभार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य श्री ओपी शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल, विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ रमेश सिंह कुशवाह, नरेन्द्र सिंह जाट व अन्य विभागों की ओर से अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पीएम राहत योजना में डेढ़ लाख तक के कैशलेस उपचार की सुविधा

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 28 मार्च। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार) योजना सम्पूर्ण भारत में लागू कर दी गई है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को डेढ़ लाख तक मुफ्त ईलाज सरकारी एवं चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में मिलेगा।

भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है। यदि दुर्घटना पीड़ितों को पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, तो लगभग 50 प्रतिशत मौतों को टाला जा सकता है। सड़क दुर्घटना पीड़ित, राह-वीर या दुर्घटना स्थल पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति 112 डायल करके निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है और एम्बुलेंस सहायता लें सकता है। ''पीएम राहत योजना'' अन्तर्गत किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों की अवधि तक प्रति व्यक्ति 01 लाख 50 हजार रूपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।

भावांतर योजना अंतर्गत जिला स्तरीय समिति गठित

प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से 4 किसान भी शामिल किये गये

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 28 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा स्वयं की अध्यक्षता में भावांतर योजना अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिले के प्रभारी मंत्री श्री शुक्ला के अनुमोदन उपरांत 4 किसानों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

वर्ष 2025-26 में सरसो उत्पादक कृषको को भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्किम भावांतर योजना के अनुसार एफएक्यू उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराये जाने की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समिति का गठन किया गया है। भावांतर योजना के तहत 23 मार्च से 30 मई 2026 की अवधि नियत की गई है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति में सीईओ जिला पंचायत, उप संचालक कृषि, सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक संचालक उद्यानिकी, जिला लीड बैंक अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख केवीके बडौदा को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही सचिव कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर सदस्य-सचिव रहेगे। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में जिले के सांसद तथा विधायकगण विशेष आमंत्रित होंगे। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित 4 किसान युवराज यादव सिलपुरी, रघुवीर मीणा बिलवाडिया, सुमेर सिंह जादौन बगदिया, राजेन्द्र शर्मा वीरपुर को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति में शामिल किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा मंडी समिति स्तरीय क्रियान्वयन समितियों का गठन भी किया गया है, जिसमें भार साधक अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है तथा संबंधित मंडी के सचिव समिति के सदस्य-सचिव नियुक्त किये गये है। समिति में सदस्य के रूप में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी तथा सहायक अथवा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियो को शामिल किया गया है। जिले में तीन मंडी स्तरीय समितियां गठित की गई है, जिनमें श्योपुर एवं उप मंडी कराहल के लिए एक समिति तथा बडौदा और विजयपुर की कृषि उपज मंडी के लिए पृथक-पृथक समितियां गठित की गई है। मंडी स्तरीय क्रियान्वयन समिति भावांतर योजना के तहत खरीदी, भुगतान एवं अन्य समस्त कार्यो के लिए उत्तरदायी होगी।

चने की खरीदी 30 से, 01 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 28 मार्च। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी का कार्य 30 मार्च से 28 मई 2026 की अवधि तक किया जायेगा। चना उपार्जन कार्य के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट वर्मा द्वारा जिले में 4 केन्द्र निर्धारित किये है, जिन पर 30 मार्च से 28 मई 2026 की अवधि तक चने की खरीद की जायेगी।

समर्थन मूल्य पर वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बडौदा द्वारा स्टेट वेयरहाउस कृषि उपज मंडी बडौदा में, सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सोईकलां द्वारा सेंट्रल वेयरहाउस द्वितीय जैदा मंडी श्योपुर में, सेवा सहकारी संस्था कनापुर द्वारा सेंट्रल वेयरहाउस प्रथम स्टेशन के पास श्योपुर तथा वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित विजयपुर द्वारा कृषि उपज मंडी समिति विजयपुर में चने की खरीदी का कार्य किया जायेगा।

इसी प्रकार रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर भारत सरकार की डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) अंतर्गत सरसों फसल विक्रय की अवधि 01 अप्रैल से 30 मई तक नियत की गई है। इस अवधि में पंजीकृत किसानों को अधिसूचित मंडियों में सरसों का विक्रय करने पर भावांतर का लाभ मिलेगा। भावांतर भुगतान योजना में सरसों फसल की खरीदी 01 अप्रैल से 30 मई 2026 के मध्य जिले की अधिसूचित मंडियों श्योपुर, बडौदा, विजयपुर एवं कराहल में की जायेगी। योजनांतर्गत प्रथम दो सप्ताह में विक्रय के लिए मॉडल रेट का निर्धारण, सीजन के प्रथम 14 दिवस की अवधि में प्रदेश की समस्त मण्डियों में सरसों के विक्रय मूल्य का औसत मानकर निर्धारित किया जायेगा। प्रतिदिन का मॉडल रेट मध्यरात्रि 12 बजे से ई-मंडी पोर्टल पर प्रदार्शित किया जायेगा। अधिसूचित मंडियों में (एफएक्यू मानक के अनुरूप) का बिक्री मूल्य एमएसपी से कम हो, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औसत थोक मूल्य (मॉडल प्राइस) से अधिक हो, तो किसान को एमएसपी और वास्तविक बिक्री के अंतर की राशि प्रदाय की जाएगी। किसानों को भावांतर भुगतान की राशि डीबीटी के माध्यम से मंडी बोर्ड द्वारा भुगतान किया जाएगा। सरसों फसल का एमएसपी 6200 रूपये प्रति क्विंटल है। जिले में 1890 किसानों द्वारा भावांतर योजना के तहत सरसो फसल के विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये जिले में 33 खरीदी केन्द्र निर्धारित किये गये है, जिन पर 07 अप्रैल से खरीदी का कार्य शुरू होगा। शासन की ओर से 40 रूपये बोनस सहित 2625 रूपये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। जिले में कुल 18 हजार 74 किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया गया है।

कराहल, सेसईपुरा, सिलपुरी एवं खिरखिरी फीडर से बिजली 29 को बंद रहेगी

श्योपुर, 28 मार्च। 132/33 केव्ही उपकेन्द्र कराहल पर स्थापित 50 एमव्हीए ट्रांसफार्मर के प्री-मानसून मेंटेनेस हेतु आवश्यक कार्य किये जाने के चलते 29 मार्च को इस उपकेन्द्र से निर्गमित 33 केव्ही फीडर सेसईपुरा, कराहल टाउन, सिलपुरी एवं खिरखिरी से प्रात: 10 बजे से सांय 04 बजे तक बिजली बंद रहेंगी। उपमहाप्रबंधक दक्षिण संभाग ने बताया कि उक्त कार्य के चलते सेसईपुरा, कराहल टाउन, सिलपुरी एवं खिरखिरी फीडर से 29 मार्च को प्रात: 10 बजे से सांय 04 बजे तक संबंधित फीडर क्षेत्र में विधुत की आपूर्ति बंद रहेगी।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचायें और 25 हजार रूपये पायें

गोल्डन ऑवर में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले राह-वीर को मिलता है इनाम

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 28 मार्च। शासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए राह-वीर योजना शुरू की गई है। गाईड लाईन के अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (दुर्घटना से एक घंटे के भीतर का समय) में अस्पताल पहुंचाने वाले राह-वीर को 25 हजार रूपये की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है, इसके साथ ही चुने हुए राह-वीरों में से सबसे योग्य 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जाने का प्रावधान भी है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में उक्त योजना के तहत श्योपुर जिले में दो राहवीरों को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा ने नागरिको से अपील की है कि सडक दुर्घटना के मामलों में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचायें, इसके तहत मदद करने वालो को राहवीर योजना के तहत पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पतालध्ट्रामा केयर सेंटर तत्परता से पहुँचाकर जान बचाता है ऐसे सभी व्यक्ति राह-वीर योजना के लिए पात्र होंगे। गोल्डन ऑवर अर्थात दुर्घटना होने के एक घंटे के भीतर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा सडक दुर्घटना पीडितों को नकदी रहित उपचार स्कीम अंतर्गत नामांकित अस्पतालों में डेढ लाख रूपये तक की राशि का उपचार निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, नामांकित अस्पतालों को पीडित के अस्पताल लाये जाने पर तुरंत चिकित्सा उपचार शुरू किया जाता है।

08 ली. अवैध शराब जप्त

श्योपुर। थाना बरगवां अवैध शराब पकड़ी आरोपी श्रीलाल पुत्र दोचिया आदिवासी उम्र 39 साल नि. आवदा को दि. 25.03.26 के 19.37 बजे स्थान मालीपुरा रोड खुरा आवदा कब्जे से अवैध कच्ची शराब 08 ली. कीमती 800/- रु. की जप्त की ।

रिपोर्ट करने की बात पर मारपीट: थाना विजयपुर मारपीट फरि. बंटी पुत्र रामजी धानुक उम्र 32 साल नि. खितरपाल ने रिपोर्ट की कि दि. 24.03.26 के 21.15 बजे स्थान सरकारी स्कूल के पास आरोपीगण, जगदीश पुत्र हक्के आदिवासी, गायत्री पत्नी जगदीश आदिवासी नि.गण सदर ने फरि को चाचा की रिपोर्ट करने की बात पर से मारपीट की गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी ।

बटवारे की बात पर मारपीट: थाना गसवानी मारपीट फरि. प्रीतम पुत्र नौरु आदिवासी उम्र 61 साल नि. सनगौरा गसवानी ने रिपोर्ट की कि दि. 25.03.26 के 10.36 बजे स्थान फरि का घर आरोपी रतीराम पुत्र प्रीतम आदिवासी नि. सदर ने फरि को बटवारे की बात पर से मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी ।

एक नजर में

बाइक को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी

श्योपुर। थाना कोतवाली सड़क दुर्घटना फरि. थानसिंह पुत्र शंकर सिह जाट उम्र 35 साल नि. आवदा श्यो. ने रिपोर्ट की कि दि. 26.03.26 के 18.10 बजे स्थान मोतीटिकिया के पास श्यो. पर आरोपी एम.पी. 31 एम.एच 4035 का चालक ने तेजी व लापरवाही से मो.सा. चलाकर फरि. को टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया एवं गालियां दी ।धारा 281,125 बीएनएस कायम कर लिया है।

पुरानी रंजिश की बात पर मारपीट

श्योपुर। थाना विजयपुर मारपीट फरि. केशव पुत्र बलवंत उम्र 32 साल नि. सिटूयापुरा ने रिपोर्ट की कि दि. 26.03.26 के 22.00 बजे स्थान फरि का घर पर आरोपीगण, संजय पुत्र नरेश आदि., श्रीकांत पुत्र श्रीचरन आदि., देवा पुत्र परीक्षत आदि. नि. गण. सिटूयापुरा ने फरि. की पुरानी रंजिश की बात पर से मारपीट की गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी। धारा 115(2) बीएनएस कायम कर लिया है।

कमरा बनाने की बात को लेकर झगड़ा

श्योपुर। थाना देहात मारपीट फरि. अमरसिंह पुत्र जगरु आदिवासी उम्र 50 साल नि. कलमी थाना देहात ने रिपोर्ट की कि दि. 26.03.26 के 20.00 बजे स्थान फरि. के घर के बाहर ग्राम कलमी आरोपीगण, रामू आदिवासी, पूजा आदिवासी नि.गण सदर ने फरि. व उसकी पत्नी राधाबाई को कमरा बनाने की बात को लेकर मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट कर चोट पहुंचाई व जान से मारने की धमकी दी ।धारा 115 (2)बीएनएस कामय कर लिया है।

डीजे पर नाचने के विवाद को लेकर गाली-गालोच

श्योपुर। मारपीट फरि. अजय पुत्र रामअवतार बैरवा उम्र 20 साल नि. दुबडी थाना देहात ने रिपोर्ट की कि दि. 27.03.26 के 00.05 बजे स्थान कैलाश बैरवा के घर के पीछे ग्राम दुबडी आरोपीगण 1. रवि बैरवा नि. जैनी मानपुर 2. एक अन्य साथी ने फरि को डीजे पर नाचने के विवाद को लेकर मां बहन की बुरी-बुरी गालियां दी व जान से मारने की नियत से चाकू मारे धारा 109(1), 115(2), 118(1), 296(ए), 3(5) बीएनएस कामय लिया है।

दुकान से त्रिपाल उठाने की बात पर विवाद

श्योपुर। थाना कोतवाली मारपीट फरि. महावीर पुत्र शम्भूलाल माली उम्र 40 साल नि. ग्राम सोंठवा थाना देहात ने रिपोर्ट की कि दि. 27.03.26 के 15.00 बजे स्थान आरोपी की दुकान के सामने बडौदा रोड श्योपुर आरोपीगण, विक्की जाटव, विक्की जाटव का भाई नि.गण बडौदा रोड श्योपुर ने फरि को दुकान से त्रिपाल उठाने की बात पर से मारपीट की व गालियां दी ।धारा 115(2), 296 (बी), 3(5) बीएनएस कायम कर लिया है।

खेत पर बहाने से मिलने के लिये बुलाकर गालियां देकर मारपीट की

श्योपुर। थाना विजयपुर मारपीट फरिया. निशा पुत्री बलवीर आदिवासी उम्र 17 साल नि. गोपालपुर चकसहराना विजयपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 21.00 बजे स्थान फरिया के घर के खेत आरोपीगण, अंकेश की मां, कमलसिंह, अंकेश के ताऊ का लडका ने फरिया. के दोस्त अंकेश ने फरिया. को खेत पर मिलने के लिये बुलाया अंकेश के ताऊ के लडके व माता पिता ने आकर फरिया के साथ जाति सूचक गालिया देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी ।धारा 115(2)आदि एससी एसटी एक्ट कायम कर लिया है।